अधिकारी ~~प्रभार पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य~~ चुनाव
कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-12-2020
को पेश हो।

रीडर

22-12-2020 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य
का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे~~
~~पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यों मे व्यस्त है।
पत्रावली दि० 12-1-2021 को पेश हो।

रीडर

12-1-2021 पत्रावली पेश हुई/अभिभाषक संघ ने कार्य
का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे~~
~~पर/अवकाश पर~~/अन्य कार्यों मे व्यस्त है।
पत्रावली दि० 2-2-2021 को पेश हो।

रीडर

2-2-2021 लैण्ड होल्डर उप०। अप्रार्थीगण के वकील
एवं स्वयं अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण
के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस
पत्रावली दि० 16-2-2021 को पेश हो।

16-2-2021 लैण्ड होल्डर उप०। अप्रार्थीगण के वकील एवं
स्वयं अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण
के विरुद्ध एकतरफा की जाती है। वास्ते बहस
पत्रावली दि० 23-2-2021 को पेश हो।

23-2-2021 लैण्ड होल्डर उप०। लैण्ड होल्डर की
बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 26-2-2021
को पेश हो।

26-2-2021 लैण्ड होल्डर उप०। प्रा०पत्र ... स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील
दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

/2006 16.2.2006 26.2.2021

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. लिछमन पुत्र बृजमोहन, खारवाल, निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. सीताराम पुत्र बृजमोहन, खारवाल, निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
3. पुखराज पुत्र बृजमोहन, खारवाल, निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
4. पप्पू पुत्र बृजमोहन, खारवाल, निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
5. नुरका बेबा बृजमोहन, खारवाल, निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
6. प्रबन्धक स.मा. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 स.मा.
7. लाली देवी पत्नी देवीराम, खारवाल निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेईकला मे प्रतिवादी संख्या 1 ल0 4 के पिताजी बृजमोहन पुत्र रामचन्द खारवाल की खातेदारी में खसरा नम्बर 131/1 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा, ख0न0 252/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि जमाबंदी संवत 2025—28 में दर्ज थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0न0 131/1 के नवीन नम्बर 2408 रकबा 2.28 है0, ख0न0 2409 रकबा 0.80 है0 तथा साबिक नम्बर 252/2 के नवीन नम्बर 1986 रकबा 0.40 है0, ख0न0 1987 रकबा 0.44 है0, ख0न0 1989 रकबा 0.50 है0 बने है। सेटिलमेन्ट विभाग ने साबिक नम्बरान से बने हॉल नम्बरान के बने 1986 रकबा 0.40 है0, ख0न0 1987 रकबा 0.44 है0, ख0न0 1989 रकबा 0.50 है0, ख0न0 2408 रकबा 2.28 है0, ख0न0 2409 रकबा 0.80 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.42 है0 की खातेदारी बृजमोहन पुत्र रामचंद खारवाल राहिन स0मा. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 स.मा. मुर्तहीन के नाम दर्ज की है। प्रतिवादी संख्या 1 ल 4 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पति बृजमोहन पुत्र रामचन्द्र खारवाल की मृत्यु होने पर भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ल 4 व 5 के नाम दर्ज हुई है तथा भूमि स.मा. सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 स.मा. के रहन रखने के कारण प्रतिवादी संख्या 6 को पक्षकार बनाया गया है। भूप्रबन्ध विभाग से पूर्व प्रतिवादीगण के पिताजी की खातेदारी में 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि थी। हरिप्रसाद पुत्र रणजीता खारवाल ने एक दावा घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती का न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ कमी रकबे की पूर्ति करने पर न्यायालय मे मुकदमा संख्या 302/90 दर्ज हुआ तथा निर्णय दिनांक 11.5.2000 से हॉल ख0न0 1986 रकबा 0.40 है0 मे से 0.16 है0 भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी से कम कर हरिप्रसाद पुत्र रणजीता खारवाल के नाम दर्ज करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी (स.मा.)
सत्यमेव जयते

की खातेदारी रह जाती है जबकि साबिक खातेदारी के अनुसार 3.95 है0 भूमि प्रतिवादीगण के पास होनी चाहिए थी। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पास वर्तमान मे 0.31 है0 भूमि अधिक है। प्रतिवादीगण के साबिक हॉल ख0न0 के साबिक हॉल रकबे का मिलान करने पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अधिक भूमि रकबा 0.31 है0 हॉल नम्बर 1989 रकबा 0.50 है0 मे से 0.29 है0 तथा ख0न0 2408 रकबा 2.28 है0 मे से 0.02 है0 भूमि कम की जाकर सिवायचक दर्ज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अधिक भूमि हॉल नम्बर 1989 रकबा 0.50 है0 मे से 0.29 है0 तथा ख0न0 2408 रकबा 2.28 है0 मे से 0.02 है0 भूमि कुल 0.31 है0 भूमि कम की जाकर सिवायचक दर्ज करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। अतः इनके विरूद्ध दिनांक 3.5.2007 को एकतरफा कार्यवाही की गई। इसके पश्चात दिनांक 2.4.2019 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 की ओर से दिनांक 2.4.2019 को एकतरफा कार्यवाही हटाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी.पेश किया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2019 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 3.5.2007 की की गई एकतरफा कार्यवाही निरस्त की गई एवं अप्रार्थीगण को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। लगातार अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत नही किया एवं दिनांक 2.2.2021 को अप्रार्थीगण के वकील एवं स्वयं अप्रार्थीगण उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध पुनः एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 6 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी बैंक के यहॉ रहन रखी हुई है जिसे विधि अनुसार ना तो रहन से मुक्त किया जा सकता है और ना ही सिवायचक दर्ज किया जा सकता है। धारा 11 सी.पी.सी. के तहत दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होकर खारिज किये जाने योग्य है। अतः दावा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने नकल जमाबंदी सं0 2025 लगायत 2028, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, नकल जमाबंदी संवत 2057–60, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है एवं पटवारी श्री भगवानसहाय मीना के बयान कराये है।

प्रार्थना पत्र पर लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की बहस सुनी गई।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स.मा.)

अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख नकल जमाबंदी संवत 2025–2028 के अनुसार वृजमोहन पुत्र रामचन्द्र की खातेदारी मे भूमि ख0न0 131/1 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा एवं भूमि ख0न0 252/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल भूमि 15 बीघा 12 बिस्वा दर्ज है। वर्तमान माप के अनुसार इसके बदले मे श्री बृजमोहन को 3.95 है0 भूमि प्रतिवादीगण के पास होनी चाहिए। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उपरोक्त नम्बरो के नवीन ख0न0 2408 रकबा 2.28 है0, ख0न0 2409 रकबा 0.30 है0, ख0न0 1986 रकबा 0.40 है0, ख0न0 1987 रकबा 0.44 है0 ख0न0 1989 रकबा 0.50 है0 बने है जो बृजमोहन के नाम दर्ज किये गये है एवं उसकी मृत्यु के बाद यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम आयी है। इस न्यायालय द्वारा दावा संख्या 302/90 मे दिये गये निर्णय दिनांक 11.5.2000 के अनुसार ख0न0 1986 मे से 16 एयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी से कम कर हरिप्रसाद पुत्र रणजीता खारवाल के नाम दर्ज की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के खाते मे 4.26 है0 भूमि शेष रहती है। जबकि साबिक के अनुसार प्रतिवादीगण के नाम 3.95 है0 भूमि रहनी चाहिए। प्रतिवादीगण के नाम 0.31 है. भूमि अधिक दर्ज की गई है। प्रतिवादीगण ने इस दावे का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के खाते मे 0.31 है0 भूमि अधिक होना पाया जाता है। फलस्वरूप तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 एलआर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0न0 1989 रकबा 0.50 है0 मे से 0.29 है0 भूमि एवं ख0न0 2408 रकबा 2.28 है0 मे से रकबा 0.02 है0 कुल रकबा 0.31 है0 स्थित ग्राम उदेईकलॉ ए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी से कम की जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:08:54 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)